

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/50/2011

दर्ज दिनांक:- 20.07.2011

1. भगवान देवी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. प्रहलादसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

महाराजसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक



दिनांक:-15.03.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं है। अतः दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर